आर. आर. एस. चौहान और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

28 मार्च, 1995

[एस. सी. अग्रवाल और सुजाता वी. मनोहर, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानूनः

भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता) नियम - नियम 3 - विशेष कर्तव्य अधिकारी का पद (ओ. एस. डी.) - निचले वेतनमान का सृजन और राज्य वन सेवा में आने वाले क्या भारतीय वन सेवा में वरिष्ठता के निर्धारण के उददेय से वरिष्ठ पद है - अभिनिर्धारित नहीं : सेवा में नियुक्ति तक ओएसडी पद पर निरंतर कार्य करने की अवधि - वरिष्ठता के उद्देश्यों और आवंटन के वर्ष के समनुदेशन के लिए ध्यान में नहीं रखी जाएगी।

मध्यप्रदेश सरकार ने 23 जनवरी, 1974 के आदेश द्वारा वरिष्ठ वेतनमान रूपया 700-1250 के सेवा संवर्ग में 27 पद समाप्त कर दिये और उनके स्थान पर समान संख्या में विशेष कार्य अधिकारी के अस्थायी पद वेतनमान रूपये 680-1000 - ई. बी.-1150 राज्य वन सेवा में सृजित किये गये थे। आदेश में कहा गया था कि यह व्यवस्था एक साल की अवधि के लिए या भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम

के नियमों के अनुसार चुनिंदा सूची तैयार करने के समय तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। उक्त आदेश को प्रत्येक बार एक वर्ष की अवधि के लिये दो बार बढ़ाया गया था।

अपीलार्थियों को वेतमान 680-1150 में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। जब वे इस तरह से कार्य कर रहे थे, अपीलार्थियों के नाम भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1966 के तहत चयन समिति द्वारा तैयार की गई वर्ष 1978 की चयन सूची में शामिल किए गए थे। चयनित सूची में से 38 व्यक्तियों को वर्ष 1978 के लिए सेवा में नियुक्त किया गया था। चूंकि अपील करने वालों की योग्यता कम थी, इसलिए उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सका। अपीलार्थियों के नाम वर्ष 1979,1981 और 1984 की चयन सूची में शामिल नहीं थे। अपीलार्थियों के नाम 1985 की चुनिंदा सूची में पाए गए थे और उन्हें सितंबर 1985 के आदेश द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया था और उन्हें मध्यप्रदेश संवर्ग आवंटित किया गया था और सेवा में वरिष्ठता के उददेश्य से वर्ष 1981 सौंपा गया। अपीलार्थीगण द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें वरिष्ठता के उद्देश्य से आवंटन के वर्ष के रूप में 1971 दिया जाना चाहिए था, इस आधार पर कि वे 1977 से सेवा में उनकी नियुक्ति की तारीख तक निर्बाध रूप से सेवाओं में उप वन संरक्षक,

एक संवर्ग के वरिष्ठ पद पर बने हुए थे। उक्त याचिका खारिज कर दी गई। इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

अपीलों को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (2) (सी) के तहत एक पदोन्नत अधिकारी वरिष्ठता के उद्देश्य से एक वरिष्ठ पद में निरंतर कार्यावधि का लाभ केवल तभी ले सकता हैं जब सेवा में उसकी नियुक्ति के समय निम्नलिखित दो आवश्यकताओं को पूरा किया जाता हैः

(i) वह लगातार किसी वरिष्ठ पद पर कार्य कर रहा था; और

(ii) इस तरह की लगातार पद पर रहने की अवधि के दौरान उसका नाम चयन सूची में था। [1164 - एफ-जी]

2.1 . ओ. एस. डी. का पद भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियम 1968 के नियम 2 (जी) में परिभाषित 'वरिष्ठ पद' नहीं था, क्योंकि यह भारतीय वन सेवा (संवर्ग शक्ति निर्धारण) विनियम, 1966 की अनुसूची में मध्य प्रदेश राज्य के संवर्ग की मद 1 के तहत शामिल और निर्दिष्ट पद नहीं था। उक्त पद भी उक्त संवर्ग के मद 2 और 5 में निर्दिष्ट पदों की संख्या में शामिल पद नहीं था। इसके अलावा, 23 जनवरी, 1974 के आदेश से, जिसके तहत ओ. एस. डी. का पद बनाया गया था, यह प्रतीत होता है कि उक्त पदों को राज्य वन सेवा में रुपये

700-1250 के वरिष्ठ वेतनमान में पदों के स्थान पर सृजित किये गये थे, जो कि स्थगित रखे गये थे और ओ. एस. डी. के पद का वेतनमान रुपये 600-1150 से कम था। इससे पता चलता है कि ओ. एस. डी. का पद सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में संवर्ग पद के समकक्ष पद नहीं था, बल्कि राज्य वन सेवा में एक पद था, जिसका वेतनमान सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के पद से कम था। [1165 - एफ-जी]

2.2 . केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने यह रुख अपनाया है कि अपीलार्थियों की नियुक्ति राज्य वन सेवा में एक ओएसडी के पद पर थी और यह कि यह सेवा में एक संवर्ग पद नहीं था और इसलिए, भारतीय वन सेवा संवर्ग नियम 1966 की किसी भी आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलकर्ता केवल तभी सफल हो सकते हैं जब वे यह दिखाने में सक्षम हों कि उन्हें उपवन संरक्षक के पद पर सवर्ग नियमो के नियम 9 के अनुसार सेवा संवर् में शामिल एक पद पर नियुक्ति दी गई थी। चूँकि अपीलार्थियों की नियुक्ति सेवा संवर्ग में किसी पद पर नहीं थी, इसलिए 1977-1985 की अवधि के दौरान नियुक्ति करने और उन्हें उक्त पद पर जारी रखने के लिये नियम 9 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता था कि अपीलार्थी 1985 में सेवा में अपनी नियुक्ति से पहले लगातार सेवा में एक वरिष्ठ पद पर कार्य कर रहे थे। [1168 - ई-एच]

3.1 . भले ही यह माना जाए कि अपीलार्थी 1977-85 की अवधि के दौरान सेवा में एक वरिष्ठ पद पर लगातार कार्य कर रहे थे, वे वरिष्ठता के उद्देश्य से उक्त कार्य का लाभ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि 1978 की चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के बाद वर्ष 1979 की अगली चयन सूची में उनके नाम शामिल नहीं थे और उनके नाम वर्ष 1981 और 1984 के लिए चयन सूचियों में भी शामिल नहीं थे। [1169 - ए]

3.2 वर्ष 1979,1981 और 1984 के लिए चयन सूची में अपीलार्थियों के नामों को शामिल न होने का प्रभाव यह है कि वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (2) (सी) की आवश्यकता में से एक जो सक्षम हो सकती है अपीलकर्ताओ को पद पर बने रहने का लाभ मिलना बंद हो गया था। तथ्य यह है कि अपीलार्थी उस अवधि के दौरान वरिष्ठ पद पर कार्य कर रहे थे जब उनके नाम चयन सूची में नहीं थे, वे वरिष्ठता के उद्देश्य से इस तरह के कार्य का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए अपीलार्थी इस अवधि के दौरान ओ. एस. डी. के पद पर निरंतर कार्यपालन की अवधि की गणना करने के हकदार नहीं थे। 1977-85 की अवधि के दोरान उनकी वरिष्ठता और वर्ष के आवंटन के समनुदेशन के उद्देश्य से। [1169 - जी-एच, 1170-ए]

हरजीत सिंह आदि बनाम भारत संघ और अन्य , [1980] 3 एससीआर 459; अमरीक सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य , [

1980] 3 एस. सी. आर. 485; भारत संघ आदि बनाम जी. एन. तिवारी और अन्य। , [1985] पूरक 3 एससीआर 744 और सैयद खालिद रजवी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य , [1993] पूरक 3 एससीसी 575, अंतर स्थापित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 68/ 1989

प्रकरण संख्या 25/1986 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकारण, जबलपुर पीठ, मध्यप्रदेश के निर्णय एवं आदेश दिनांक 9.8.88 से

के. माधव रेड्डी, ए. रघुवीर, के. एन. शुक्ला, एन. एन. गोस्वामी, गोबिंद मुखोटी, एस. के. गंभीर, विवेक गंभीर, सुश्री एस. बग्गा, वाई. पी. महाजन, सी. वी. सुब्बा राव, अनूप जी. चौधरी, उमा नाथ सिंह, साकेश कुमार, एस. के. अग्निहोत्री, ए. शरण, एम. सी. अग्रवाल, मैसर्स अग्रवाल एंड मिश्रा एंड कंपनी, एस. के. जैन और देवेंद्र सिंह; पक्षकारान के लिये उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय एस. सी. अग्रवाल, न्यायाधिपिति द्वारा दिया गया था।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर पीठ, मध्य प्रदेश (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 9 अगस्त, 1988 के फैसले की इस अपील में विचार के लिए यह प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह

है कि क्या भारतीय वन सेवा (इसके बाद सेवा के रूप में संदर्भित) में अपीलार्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण 1977 से मध्य प्रदेश राज्य में विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओ. एस. डी.) के पद पर उनके कार्यभार संभालने की तिथि तक की अवधि को सेवा में नियुक्ति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

वर्ष 1964 में मध्यप्रदेश राज्य की वरिष्ठ वन सेवा में सहायक वन संरक्षकके पद पर नियुक्ति के लिये अपीलार्थी सं 1 से 9 का चयन किया गया था। भारतीय वन महाविदयालय, देहरादून में उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें वर्ष 1966 में सहायक वन संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी संख्या 10 से 12 को 1965 में ऐसे प्रशिक्षण के लिए चुना गया था और उनका प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें 1967 में सहायक वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन सभी की पुष्टि 1 अक्टूबर, 1968 से सहायक वन संरक्षक के पद पर की गई थी। वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत इस सेवा का गठन किया गया था। यह सेवा केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न नियमों और विनियमों द्वारा शासित होती है, जिसमें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966, (जिसे इसके बाद 'संवर्ग नियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है), भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन,1966 [जिसे इसके बाद 'पदोन्नति विनियमों

द्वारा नियुक्ति' के रूप में संदर्भित किया गया है], भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1968 [इसके बाद 'वरिष्ठता नियम' के रूप में संदर्भित], शामिल है। इन नियमों और विनियमों के प्रावधान काफी हद तक वही है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिससेवा को नियंत्रित करने वाले समान नियमो और विनियमो में निहित है।

दिनांक 23 जनवरी, 1974 के आदेश द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ वेतनमान रूपये 700-1250 के सेवा संवर्ग में में 27 पदों को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर राज्य वन सेवा में वेतनमान रुपये 680-1000 - ईबी-1150 के समान संख्या के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओ. एस. डी.) के अस्थायी पदों का निर्माण किया । उक्त आदेश में कहा गया था कि "यह व्यवस्था एक वर्ष की अवधि तक या आई. एफ. एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम के नियम 5 के अनुसार चयन सूची तैयार होने तक, जो भी पहल हो, प्रभावी रहेगी। 11 जुलाई, 1975 के आदेश द्वारा 23 जनवरी, 1974 के उक्त आदेश को एक वर्ष की अवधि के लिए या सेवा में पदोन्नति के लिये चयन सूची तैयार होने तक, जो भी पहले हो, किसी अन्य आदेश दिनांक 25.5.1976 द्वारा इसे एक साल के लिये और बढ़ा दिया गया था या या सेवा में पदोन्नति के लिये चयन सूची तैयार होने तक, जो भी पहले हो। 22 फरवरी, 1977, 5 मार्च, 1977,21 मार्च, 1977 और 22 अप्रैल, 1977 के आदेशों के अनुसार अपीलार्थियों को

ओ. एस. डी. के पद पर वेतनमान रूपये 680-1150 पर पदोन्नत किया गया। जब वे इस प्रकार कार्य कर रहे थे, तो अपीलार्थियों के नाम दिसंबर, 1977 में पदोन्नति नियमो द्वारा नियुक्ति के तहत चयन समिति द्वारा तैयार वर्ष 1978 के लिये चयन सूची में शामिल किये गये थे। उक्त चयन सूची में 67 व्यक्तियो के नाम शामिल थे। वर्ष 1978 के लिये 38 व्यक्तियो को सेवा में नियुक्त किया गया था। चूंकि अपीलकर्ता उक्त चयन सूची में योग्यता में कम थे इसलिये उन्हें उक्त चयन सूची के आधार पर उन्हें सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सका। 19 दिसंबर, 1978 को तैयार की गई वर्ष 1979 की चयन सूची में अपीलार्थियों के नाम शामिल नहीं थे। कुछ अपीलार्थियों के नाम वर्ष 1980 की चयन सूची में शामिल थे। लेकिन 1981 की चयनित सूची में किसी भी अपीलार्थी का नाम नहीं था। कुछ अपीलार्थियों के नाम वर्ष 1982 और 1983 की चयन सूची में शामिल थे लेकिन वर्ष 1984 की चयन सूची में किसी भी अपीलकर्ताओं का नाम शामिल नहीं था। वर्ष 1985 के लिए चयन सूची में सभी अपीलकर्ताओ के नाम शामिल थे और 24 सिंतबर 1985 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओ को सेवा में नियुक्त किया गया और उन्हें मध्यप्रदेश कैडर आवंटित किया गया। सेवा में वरिष्ठता के उद्देश्य से उनहें आवंटन का वर्ष 1981 सौंपा गया है। उनका कहना है कि उन्हें आवंटन का वर्ष 1971 सौंपा जाना चाहिये था क्योंकि वे लगातार सेवा में उप वन संरक्षक के वरिष्ठ पद और

सेवा में संवर्ग पर पर कार्यरत थे - 1977 से सेवा में उनकी नियुक्ति की तारीख तक निर्बाध रूप से और वी.एन. खरे 1971 बैच के सीधी भर्ती के अभ्यर्थी ने 1977 में वरिष्ठ पद पर कार्य करना शुरू कर दिया था। अपीलकर्ताओ ने एक आवेदन (ओ. ए. 25/1988) न्यायाधिकरण के समक्ष उनकी शिकायत के निवारण के लिए दायर किया। अपीलार्थियों की उक्त याचिका न्यायाधिकरण के दिनांक 9 अगस्त 1988 के निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई है।

चूंकि मुख्य प्रश्न वरिष्ठता से संबंधित है, इसलिए वरिष्ठता नियमो में निहित प्रासंगिक प्रावधानो का संदर्भ दिया जा सकता है। वरिष्ठता नियमों का नियम 3 में आवंटन के वर्ष के समनुदेशन का प्रावधान करता है। उक्त नियम के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैंः

"3. आवंटन के वर्ष का समनुदेशन।

(1) प्रत्येक अधिकारी को इस नियम में इसके बाद निहित प्रावधानो के अनुसार आवंटन का एक वर्ष सौंपा जायेगा।

(2) सेवा में नियुक्त अधिकारी के आवंटन का वर्ष होगा-

(ए) x x x x x x x x x x x x x x x x x

(बी) x x x x x x x x x x x x x x x x x

(सी) जहां एक अधिकारी को भर्ती िनयमो के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा सेवामें नियुक्त किया जाता हे, नियम 7 के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये अधिकारियो में से सबसे कनिष्ठ के आवंटन का वर्ष या यदि ऐसा कोई अधिकारी नही है इन नियमो के नियम 4 (1) के अनुसार सेवा में भर्ती कियये गये सबसे कनिष्ठ अधिकारियो के आवंटन का वर्ष उपलब्ध है, जिन्होने पूर्व द्वारा इस तरह के स्थानापन्न के प्रारंभ होने की तारीख से पहले की तारीख से एक वरिष्ठ पद पर लगातार कार्य किया है:

बशर्ते कि उन अधिकारियों की वरिष्ठता जो सेवा के गठन की तिथि पर मूल रूप से वन संरक्षक या उच्च पद का पद संभाल रहे है और उन्हें भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक भर्ती) विनियम 1966 के अनुसार विशेष चयन बोर्ड द्वारा उपयुक्त नही ठहराया गया है, लेकिन बाद में भर्ती नियमो के नियम 8 के तहत सेवा में किसे नियुक्त किया जा सकता है, इसका निर्धारण संबंधित राज्य सरकार और आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा तदर्थ किया जायेगा।

स्पष्टीकरण 1. - सेवा में नियुक्त अधिकारी के संबंध में भर्ती नियमो के नियम 8 के उप-नियम (1) के अनुसार पदोन्नति द्वारा, किसी वरिष्ठ पद पर उसके निरंतर पद पर बने रहने की अवधि,के निर्धारण के प्रयोजन के लिये होगी। उसकी वरिष्ठता की गणना केवल चयन सूची में

उसका नाम शामिल होने की तारीख से, या ऐसे वरिष्ठ पद पर उसकी स्थानापन्न नियुक्ति की तारीख से, जो भी बाद में हो, से की जायेगी।"

x x x x x x x x x x x x x x x x x

नियम 3 (2) (सी) के तहत पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किये गये अधिकारी के आवंटन का वर्ष उसे वरिष्ठ पद पर निरंतर स्थानापन्न का लाभ देकर निर्धारित किया जाता है और उसे आवंटन का वही वर्ष दिया जाता है जो सेवा में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों में सबसे कनिष्ठ को दिया जाता है जो ऐसे पदोन्नत अधिकारी के ऐसे कार्य करने की शुरुआत की तारीख से पहले की तारीख से एक वरिष्ठ पद पर लगातार कार्य करते थे। स्पष्टीकरण 1 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि निरंतर कार्यावधि का लाभ केवल एक पदोन्नत अधिकारी द्वारा केवल चयन सूची में अपना नाम शामिल होनेकी तिथि से या ऐसे वरिष्ठ पद पर उसकीस्थानापन्न नियुक्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वरिष्ठ पद पर कार्यवाहक नियुक्ति और चयन सूची में नाम को शामिल करने जैसी दो आवश्यकताओं को वरिष्ठता के उद्देश्य से पदोन्नत अधिकारी द्वारा कार्यपालन का लाभ उठाने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। उक्त प्रावधानों से यह अनिवार्य रूप से कहा गया है कि इन दोनों शर्तों को न केवल कार्यपालन की अवधि के सामान्य स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए, बल्कि सेवा में नियुक्ति होने तक कार्यपालन की पूरी

अवधि के दौरान पूरा किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (2) (सी) के तहत एक पदोन्नत अधिकारी वरिष्ठता के उद्देश्य से किसी वरिष्ठ पद पर निरंतर कार्यकाल की अवधि का लाभ तभी ले सकता है जब सेवा में उसकी नियुक्ति के समय निम्नलिखित दो आवश्यकताएं पूरी की जाएं:

(i) वह लगातार किसी वरिष्ठ पद पर कार्य कर रहा था; और

(ii) इस तरह के निरंतर कार्यभार की अवधि के दौरान उसका नाम चयन सूची में था।

सेवा में अपनी वरिष्ठता के निर्धारण के उददेश्य से वे उपरोक्त प्रावधानो के लाभ का दावा करने में सक्षम हो सके, इसके लिये अपीलकर्ताओ को पहले यह दिखाना होगा कि वे 1977 से 1985 में उनकी सेवा में नियुक्ति तक लगातार वरिष्ठ पद पर कार्य कर रहे थे। अभिव्यक्ति "वरिष्ठ पद" को वरिष्ठता नियमों के नियम 2 (जी) में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

" वरिष्ठ पद 'का अर्थ है

भारतीय वन सेवा (संवर्ग शक्ति का) विनियम, 1966, की अनुसूची में प्रत्येक राज्य के कैडर के मद 1 के तहत शामिल और निर्दिष्ट एक पद;

और इसमें शामिल हैं -

उक्त संवर्ग के मद 2 और 5 में निर्दिष्ट पदों की संख्या में शामिल एक पद, जब सेवा भर्ती नियम 7 के नियम 4 के उप नियम (1) के अनुसार सेवा में भर्ती अधिकारी द्वारा वरिष्ठ वेतरमान पर रखा जाता है।

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार एक वरिष्ठ पद भारतीय वन सेवा (संवर्ग शक्ति निर्धारण) विनियम, 1966 की अनुसूची में प्रत्येक राज्य के संवर्ग की मद 1 के तहत शामिल और निर्दिष्ट पदो और संख्या में शामिल एक पद तक सीमित है। भर्ती नियमो के नियम 4 या 7 के उपनियम 1 के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये अधिकारी द्वारा उक्त संवर्ग के मद 2 और 5 में निर्दिष्ट पदों को, जब वरिष्ठ वेतनमान पर रखा जाता है।

सवाल यह है कि क्या ओ. एस. डी. का वह पद जिस पर अपीलार्थीयो की नियुक्ति 1977 में की गई थी, वह वरिष्ठता नियमों के नियम 2 (जी) के तहत एक वरिष्ठ पद है। उक्त पद भारतीय वन सेवा (संवर्ग शक्ति निर्धारण) विनियम, 1966 की अनुसूची में मध्य प्रदेश राज्य के संवर्ग की मद 1 के तहत शामिल और निर्दिष्ट पद नहीं है। यह उक्त संवर्ग के मद 2 और 5 में निर्दिष्ट पदों की संख्या में शामिल पद भी नहीं है। इसके अलावा, 23 जनवरी, 1974 के आदेश से, जिसके तहत ओ. एस. डी. के पदों का सृजन किया गया था, यह प्रतीत होता है कि उक्त पदों को राज्य वन सेवा में वरिष्ठ वेतनमान रूपये 700-1250 में पदों के स्थान पर बनाया गया था जो स्थगित कर दिये गये थे और ओ. एस. डी. के पद का

वेतनमान रुपये 600-1150 कम था। इससे पता चलता है कि ओ. एस. डी. का पद सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में संवर्ग पद के समकक्ष पद नहीं था, बल्कि राज्य वन सेवा में एक ऐसा पद था जिसका वेतनमान सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के पद से कम था।

श्री माधव रेड्डी, अपीलकर्ताओ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने हालांकि तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति ओ. एस. डी. के पदों पर की गई थी, लेकिन वे वास्तव में 1977-85 की अवधि के दौरान उप वन संरक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे और उप वन संरक्षक का पद सेवा संवर्ग में एक वरिष्ठ वेतनमान का पद है और इसलिए, अपीलार्थियों को सेवा में एक वरिष्ठ पद पर लगातार कार्यरत माना जाना चाहिए। संवर्ग नियमों के नियम 8,9 और 10 में निहित प्रावधानों को देखते हुए हमें इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है जो निम्नलिखित रूप में प्रदान करते हैंः

"नियम 8. संवर्ग अधिकारियों द्वारा संवर्ग पदों को भरा जाएगा। - इन नियमों में अन्यथा प्रावधान किए गए को छोड़कर प्रत्येक संवर्ग पद एक संवर्ग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा।

नियम 9. गैर संवर्ग अधिकारियों की संवर्ग पदो पर अस्थायी नियुक्ति-

(1) किसी राज्य में संवर्ग पद को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है जो संवर्ग अधिकारी नहीं है यदि राज्य सरकार या उसके किसी विभाग के प्रमुख में से कोई भी, जिन्हें राज्य सरकार संवर्ग पदों पर नियुक्तियां करने की अपनी शक्तियां सौंप सकती है, संतुष्ट हो जाते हैं -

(ए) कि रिक्ति तीन महीने से अधिक समय तक रहने की संभावना नहीं है; या

(बी) कि रिक्ति भरने के लिए उपयुक्त संवर्ग अधिकारी उपलब्ध है।

(2) जहाँ किसी भी राज्य में कैडर अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिये संवर्ग में नियुक्त किया जाता है, राज्य सरकार नियुक्ति करनेके कारणो के साथ तुरंत इस तथ्य की रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी।

(3) उप-नियम (2) के तहत या अन्यथा एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त कर देगी और उसके लिये एक संवर्ग अधिकारी नियुक्त करेगी, और जहां कोई निर्देश जारी किया जाता है, राज्य सरकार तदनुसार उस पर अमल करेगी।

(4) जहां एक संवर्ग पद को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भरे जाने की संभावना है जो छह महीने से अधिक की अवधि के लिए संवर्ग अधिकारी

नहीं है, केंद्रीय सरकार संघ लोक सेवा आयोग को इन कारणों के साथ पूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट करेगी कि कोई उपयुक्त अधिकारी पद को भरने के लिये उपलब्ध नहीं है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सलाह के आलोक में संबंधित राज्य सरकार को उचित निर्देश दे सकती है।

नियम 10. रिक्त संवर्ग पदों के बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट - संवर्ग के पदों को केंद्र सरकार की मंजूरी केबिना 6 महीने से अधिक की अवधि के लिये खाली नहीं रखा जायेगा या स्थगित नहींरखा जायेगा। इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित मामले के संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देगी, अर्थात-

(ए) प्रस्ताव के कारण;

(बी) वह अवधि जिसके लिए राज्य सरकार पद को रिक्त रखना या स्थगित रखना प्रस्तावित करती है; -

(सी) मौजूदा पदधारी के पद के लिए बनाए गए प्रावधान, यदि कोई हों, और

(डी) क्या पद को रिक्त या स्थगित रखने के लिये कर्तव्यो के पालन के लिये कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, और यदि हं, तो ऐसी व्यवस्था का विवरण कया है।"

इन नियमों से पता चलता है कि जबकि नियम 8 में कहा गया है कि प्रत्येक संवर्ग पद को एक संवर्ग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा, नियम 9 कुछ में प्रतिबंध हटा देता है और एक संवर्ग पद को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भरने की अनुमति देता है जो संवर्ग अधिकारी नहीं है, बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार संतुष्ट हो कि (i) रिक्ति के तीन महीने से अधिक समय तक चलने की संभावना नहीं है, या (ii) रिक्ति को भरने के लिए कोई उपयुक्त संवर्ग अधिकारी उपलब्ध नहीं है। यदि नियुक्ति नियम 9 के उप-नियम (2) के अनुसार तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए होती है तो राज्य सरकार ऐसी नियुक्ति के कारणों के साथ केंद्र सरकार को तुरंत रिपोर्ट करेगी और ऐसी रिपोर्ट मिलने पर नियम 9 के उप-नियम (3) के तहत केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त कर देगी और उसे एक संवर्ग अधिकारी नियुक्त करेगी और जहां ऐसा निर्देश जारी किया जाता है, वहां राज्य सरकार से इसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में जहां संवर्ग पद को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भरे जाने की संभावना है जो छह महीने से अधिक की अवधि के लिए संवर्ग अधिकारी नहीं है, नियम 9 के उप-नियम (4) में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग को पूरे तथ्यो की रिपोर्ट इस कारण के साथ देगी कि पद भरतने के लिये कोई उपयुक्त संवर्ग अधिकारी उपलब्ध नहीं है और संघ लोक सेवा आयोग

द्वारा दी गई सलाह के आलोक में राज्य सरकार को उपयुक्त निर्देश दे सकता है। नियम 10 में कहा गया है कि संवर्ग पद को केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना छह महीने से अधिक की अवधि के लिए खाली या स्थगित नहीं रखा जाएगा और राज्य सरकार को उक्त नियम के खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देने की आवश्यकता है।

जहां तक 23 जनवरी, 1974 के आदेश के तहत सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के पदों को स्थगित रखने का संबंध है, भारत संघ का रुख यह है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को नियम 10 के अनुसार कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी और केंद्र सरकार ने इन पदों को स्थगित रखने के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी थी। चूंकि, हमें राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23 जनवरी, 1974 की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उक्त पदों को स्थगित रखते हुए, हम इस प्रश्न में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

तथापि, हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या किसी संवर्ग में अपीलार्थियों की नियुक्ति के संबंध में नियम 9 के प्रावधानों का पालन किया गया था। इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार दोनों ने यह रुख अपनाया है कि ओ. एस. डी. के अपीलार्थियों की नियुक्ति राज्य वन सेवा में एक पद पर थी और यह सेवा में एक संवर्ग पद नहीं था

और इसलिए संवर्ग नियमों के नियम 9 की किसी भी आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलकर्ता केवल तभी सफल हो सकते थे जब वे यह दिखाने में सक्षम हों कि उन्हें उपवन संरक्षक के पद पर सवर्ग नियमो के नियम 9 के अनुसार सेवा संवर्ग में शामिल एक पद पर नियुक्ति दी गई थी। हालाँकि, हम पाते हैं कि अपीलार्थियों की नियुक्ति उप वन संरक्षक के पद पर नहीं थी, बल्कि ओ. एस. डी. के पद पर थी, जो कम वेतनमान वाला पद था और राज्य वन सेवा में आता था चूँकि अपीलार्थियों की नियुक्ति सेवा संवर्ग में किसी पद पर नहीं थी, इसलिए 1977-1985 की अवधि के दौरान नियुक्ति करने और उन्हें उक्त पद पर जारी रखने के लिये नियम 9 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता था कि अपीलार्थी 1985 में सेवा में अपनी नियुक्तिसे पहले लगातार सेवा में एक वरिष्ठ पद पर कार्य कर रहे थे।

इसके अलावा, भले ही यह माना जाए कि अपीलार्थी 1977-85 की अवधि के दौरान सेवा में एक वरिष्ठ पद पर लगातार कार्य कर रहे थे, वे वरिष्ठता के उद्देश्य से उक्त कार्य का लाभ नहीं उठा सकते थे क्योंकि 1978 की चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के बाद वर्ष 1979 की अगली चयन सूची में उनके नाम शामिल नहीं थे और इसी तरह उनके नाम वर्ष 1981 और 1984 के लिए चयन सूचियों में भी शामिल नहीं थे।

कुछ अपीलार्थियों के नाम वर्ष 1980,1982 और 1983 की चयन सूची में शामिल किए गए थे और सभी अपीलार्थियों के नाम वर्ष 1985 की चयन सूची में शामिल किए गए थे। श्री माधव रेड्डी का कहना है कि वर्ष 1978 के बाद के वर्षों के लिए चयनित सूचियों में अपीलार्थियों के नामों को शामिल न करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थियों के नाम वर्ष 1978 की चयन सूची में शामिल किए गए थे और चूंकि वे 1978 में इस तरह के समावेश की तारीख को एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे और वे 1985 तक कार्य करते रहे, इसलिए वे वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (2) (सी) के तहत आवंटन के वर्ष के समनुदेशन के उद्देश्य के लिए कार्यपालन की पूरी अवधि को गिनने के हकदार हैं। हम इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। जैसा कि नियम 3 के उप-नियम (2) (सी) के पहले दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि एक अधिकारी जो पदोन्नति के माध्यम से सेवा की ओर इंगित है, वह वरिष्ठता के उद्देश्य से एक वरिष्ठ पद में निरंतर कार्य अवधि का लाभ उठा सकता है, यदि सेवा में अपनी नियुक्ति की तारीख को, (ए) वह लगातार एक वरिष्ठ पद पर कार्य कर रहा था, और (बी) उसका नाम चयन सूची में था। ये दोनो आवश्यकताएँ न केवल अवधि के प्रारंभ के चरण में बल्कि उस पूरी अवधि के दौरान भी सह-अस्तित्व में होनी चाहिए जिसके लिए लाभ का दावा किया जाता है। यदि इनमें से कोई भी शर्त सेवा में नियुक्ति से पहले किसी भी स्तर पर

अस्तित्व में नहीं रहती है, तो कार्यपालन की निरंतरता में व्यवधान होगा और वरिष्ठता के प्रयोजनके लिये कार्यपालन का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। यह या तो किसी ऐसे पद पर नियुक्ति के कारण हो सकता है जो संवर्ग में वरिष्ठ पद नहीं है या बाद के वर्ष के लिए चयन सूची में नाम शामिल नहीं होने के कारण हो सकता है। किसी भी घटना में परिणाम समान होता है और वरिष्ठता के उद्देश्य से पद पर रहने की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, वर्ष 1979,1981 और 1984 के लिए चयन सूचियों में अपीलार्थियों के नामों को शामिल नहीं करने का प्रभाव यह है कि वरिष्ठता नियमों के नियम 3 (2) (सी) की आवश्यकताओं में से एक जो अपीलार्थियों को निरंतर कार्यपालन का लाभ उठाने में सक्षम बना सकती थी, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। तथ्य यह है कि अपीलार्थी इस दौरान वरिष्ठ पद पर कार्य कर रहे थे जिस अवधि में उनके नाम चयन सूची में नहीं थे, वह अपने आप में उन्हें वरिष्ठता के उद्देश्य से इस तरह के कार्य का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनायेगा । इसलिए, अपीलकर्तागण ओएसडी के पद पर निरंतर कार्य की अवधि की गणना करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी वरिष्ठता और आवंटन के वर्ष के समनुदेशन के निर्धारण के उद्देश्य से 1977-85 की अवधि के दौरान निरंतर कार्यपालन और न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों को इस तरह के कार्यपालन के लाभ से उचित रूप से वंचित कर दिया है।

श्री माधव रेड्डी ने हरजीत सिंह आदि बनाम भारत संघ और अन्य। , [1980] 3 एस. सी. आर. 459; अमरीक सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य , [1980] 3 एस. सी. आर. 485, और भारत संघ आदि बनाम जी. एन. तिवारी और अन्य , [1985] पूरक 3 एससीआर 744 में इस न्यायालय के निर्णयो पर भरोसा व्यक्त किया है। हरजीत सिंह (उपरोक्त) मामले में यह न्यायालय भारतीय पुलिस सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों पर विचार कर रहा था और भारतीय पुलिस सेवा में संवर्ग पद पर गैर-संवर्ग अधिकारियों की अस्थायी नियुक्ति के संदर्भ में इस न्यायालय ने आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत और यह देखा गया है कि ऐसी नियुक्ति केंद्र सरकार के निर्देशों के अधीन है जो ऐसी नियुक्ति को समाप्त कर सकती है और केंद्र सरकार भी संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करने के लिए बाध्य है यदि नियुक्ति छह महीने से अधिक होती है। अमरीक सिंह (उपरोक्त) में, जो भारतीय पुलिस सेवा से भी संबंधित है, यह न्यायालय फिर से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम 1954 के नियम 9 पर विचार कर रहा था और यह देखा गया है :

"वर्तमान मामले में, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी, केंद्र सरकार द्वाराअयोग के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया था। हम इस बात से सहमत है कि लोक सेवा आयोग को

दरकिनार करना प्रथम दृष्टया अनुचितता को दर्शाता हैख लेकिन हम यहां मौजूद तथ्यो के विशेष संग्रह में इस शिकायत को अहलूवालिया के पद के लिये विनाशकारी मानने के इच्छुक नहीं है। एक बात के लिे, अहलूवालिया का त्रुटि से कोई लेना देना नहीं है, उदाहरण के लिये अहलूवालिया के किसी भी वरिष्ठ को नुकसान नहीं हुआ, तीसरा, केंद्र सरकार नियमो में ढील देने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुये, सद्भावना से और वास्तव में समानता से, अधिकारी को इस उल्लंघन से मुक्त कर दिया।" [पेज 498]

उक्त निर्णय में हालांकि इस न्यायालय ने नियम 9 के प्रावधानो के उल्लंघन को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन उस मामले के तथ्यो में यह माना गया कि कार्यपालन पर विचार किया जा सकता है। सैयद खालिद रजवी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य , [1993] पूरक 3 एस. सी. सी. 575, के वर्तमान प्रकरण के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा भारतीय पुलिस सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के संदर्भ में यह देखा गया है :

"दूसरे शब्दों में, जहां रिक्ति/रिक्तियां तीन महीने से अधिक समय तक जारी रहती हैं, वहां केंद्र सरकार की पूर्व सहमति अनिवार्य है। यदि यह 6 महीने से अधिक समय तक जारी रहती हे, तो संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व मंजूरी भी अनिवार्य है। इसके उल्लंघन में कोई भी नियुक्ति कानून के अनुसार नियुक्ति नहीं है।" [पेज.598]

जी. एन. तिवारी (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने, उस मामले के तथ्यों मेंश यह माना है कि राज्य सेवा से संबंधित अधिकारियों के संवर्ग पद में कार्यपालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक मान लिया गया अनुमोदन था क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी और केंद्र सरकार ने संवर्ग पदों पर गैर-संवर्ग अधिकारियों को कार्यपालन के समेकित प्रस्ताव के लिए भी कहा था। यह निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी और केंद्र सरकार को अपीलकर्ताओ की नियुक्ति के बारे में सूचित भी नहीं किया गया था और इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा सेवा में किसी वरिष्ठ पद पर अपीलार्थियों के कार्यपालन के मानित अनुमोदन का कोई सवाल ही नहीं है।

जैसा कि पहले बताया गया है, अपीलार्थियों को कभी भी सेवा में संवर्ग पद पर नियुक्त नहीं किया गया था और उनकी नियुक्ति राज्य वन सेवा में ओ. एस. डी. के पद पर थी। श्री माधव रेड्डी द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, वे अपीलार्थियों के मामले को कोई समर्थन नहीं देते हैं।

श्री माधव रेड्डी द्वारा एक और तर्क का आग्रह किया गया है कि संवर्ग नियमों के नियम 4 (2) के तहत केंद्र सरकार की ओर से यह दायित्व है कि वह तीन साल के अंतराल पर संबंधित राज्य सरकार के

परामर्श से प्रत्येक संवर्ग की ताकत और संरचना की फिर से जांच करे। यह बताया गया है कि 1966 में सेवा के गठन के बाद कैडर समीक्षा 1969,1972 और 1975 में संवर्ग समीक्षा होनी थी, लेकिन 1977 तक ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई थी और उसके बाद 1981 में और 1984 में कोई समीक्षा नहीं की गई थी। अपीलार्थियों को 1977 की समीक्षा के बाद 1978 की चयन सूची में शामिल किया गया था। इसलिए न्यायाधिकरण ने सही कहा है कि अपीलार्थियों को पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं कहा जा सकता है क्योंकि 1977 में इस तरह की समीक्षा के बाद अपीलार्थियों के नाम 1977 की चयन सूची में शामिल किए गए थे, लेकिन इस तरह के समावेश के बावजूद उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सका। जहां तक 1977 से पहले संवर्ग में संशोधन न करनेका संबंधहै, अपीलकर्ताओ का दावा देर से किया गया माना जाना चाहिये, ओर इसे सही तरीके से न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था।

उपरोक्त कारणो से हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैंएन और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। लेकिन इन परिस्थितियों में पक्षकारो को अपनी लागत स्वंय वहन करने के लिये छोड दिया गया है।

अपील खारिज की गई।

केएसडी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।